

कार्यालय :- वन प्रमण्डल पदाधिकारी, राँची वन प्रमण्डल, राँची।

वन भवन, डोरण्डा, राँची- 834002 (झारखंड)

E-mail : dfo-ranchi@gov.in Ph. No. 0651-2480265 (O), FAX 0651-2482386



पत्रांक:- 110 दिनांक:- 07.01.23

परियोजना निदेशक,
न0एच0ए0आई0, धनबाद।

रतमाला परियोजना (जैनामोड़-गोला-ओरमांझी खण्ड) पथ निर्माण हेतु राँची वन प्रमण्डल, राँची अन्तर्गत अपयोजित होने वाली वनभूमि रकबा- 4.2557 हे0 के बंध में।

वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, राँची का पत्रांक-1690 दिनांक-31.12.2022

पर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र की छायाप्रति संलग्न करते हुए सूचित करना है कि वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, राँची ने कुल-7 बिन्दुओं पर पृच्छा किया है, जिनमें 2 एवं 6 का निराकरण आपके स्तर से किया जाना है।

संशोधन है कि बिन्दु संख्या-2 एवं 6 का निराकरण करते हुए संशोधित फार्म 'A' को इस कार्यालय में समर्पित करना सुनिश्चित करें, ताकि अग्रतर कार्रवाई की जा सके।

विश्वासभाजन

सेवा में,

विषय:-

प्रसंग:-

महाशय,

विषयक प्रस्ताव

जिसमें बिन्दु संख्या

अनु

आठ प्रति में यथा

जा सके।

अनु0-यथोक्त।

वन प्रमण्डल पदाधिकारी,
राँची वन प्रमण्डल, राँची।



कार्यालय :- वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, राँची।
वन भवन, ब्लॉक 'बी', डोरण्डा, राँची-834002

ई-मेल:- cf-ranchi@gov.in फोन0:- (0651)-2481814 मो0:-8987790111

पत्रांक:- 1690

दिनांक:- 31/12/22

सेवा में,

वन प्रमण्डल पदाधिकारी,
राँची वन प्रमण्डल, राँची।

विषय:- भारतमाला परियोजना(जैनामोड़-गोला-ओरमांझी खण्ड) पथ निर्माण हेतु राँची वन प्रमण्डल, राँची अंतर्गत अपयोजित होने वाली वनभूमि रकबा - 4.2557 हे० के संबंध में।

प्रसंग:- आपका पत्रांक 4978 दिनांक 06.12.2022

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संबंध में आपके द्वारा भारतमाला परियोजना (जैनामोड़- गोला- ओरमांझी खण्ड) पथ निर्माण हेतु राँची वन प्रमण्डल, राँची अंतर्गत अपयोजित होने वाली वनभूमि रकबा - 4.2557 हे० का प्रस्ताव समर्पित किया गया है, प्रस्ताव के अवलोकन में निम्नांकित त्रुटियाँ पायी गई है:-

→ 1. Annexures में एकरूपता नहीं है (क्रम सं० 2 एवं 4 की कंडिकाओं का Annexure 'B' दर्शाया गया है)।

2. वन प्रमण्डल पदाधिकारी, राँची द्वारा समर्पित उक्त प्रस्ताव के पार्ट -II तथा स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन में वन भूमि की स्थिति 0.7698 हे० (संरक्षित वन) एवं 3.4859 हे० (जंगल-झाड़) कुल 4.2557 हे० दर्शाया गया है। परन्तु प्रस्ताव के Annexure 3 राँची जिला के Plot wise Forest land Details में 1.6810 हे० (संरक्षित वन) एवं 2.5747 हे० (जंगल-झाड़) कुल 4.2557 हे० दर्शाया गया है। जो एक दुसरे से भिन्न है, स्थिति स्पष्ट किया जाय।

3. Part-II के कंडिका(2) में रकबा विवरणी में आंशिक सुधार किया जाना है।

→ 4. Part -II के कंडिका(XI) में पुनर्विचार कर endangered animal के तौर पर हाथियों के पाये जाने के बारे में स्पष्ट मतव्य दिया जाना अपेक्षित है।

5. Part -II 10(2) में अंकित राशि का सुधार अपेक्षित है।

6. Part -I के कंडिका J, K एवं L में सुधार अपेक्षित है। तीनों बिन्दुओं के बारे में स्पष्ट उल्लेख अंकित किया जाना है।

7. राष्ट्रीय उद्यान/वन्यजीव अभ्यारण्य/हाथियों के कॉरिडोर से 10 कि०मी० परिधि दर्शाते हुये नक्शा संलग्न नहीं है।

प्रस्ताव को मूलरूप में लौटाया जाता है। अतः उक्त समर्पित प्रस्ताव में पायी गई त्रुटियों का निराकरण कर प्रस्ताव पुनः समर्पित की जाय, ताकि अग्रेतर कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके।

अनु०:- प्रस्ताव की 7 प्रतियाँ मूल रूप में।

आपका विश्वासी,

वन संरक्षक,
प्रादेशिक अंचल, राँची।